



19

न्यायालय समक्ष माननीय राजस्वमण्डल , ग्वालियर ₹ २०००

=====

निगरानी क्र०-

निगरानी 468I-15

सन्-2015

दशरथ तनय गुटियां अहीर

निवासी ग्राम महिलावार तहसील राजनगर

जिला छतरपुर म०प्र० ..

.. निगरानीकर्ता

बनाम

म०प्र० शासन ..

.. अनावेदक

यह निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा प्र०क्र०- 43/स्वमेव निगरानी/ अ-19१4१-05-06 म०प्र० शासन बनाम दशरथ तनय गुटियां अहीर निवासी ग्राम महिलावार तह० राजनगर जिला छतरपुर में पारित आदेश दिनांक-07.02.15 से अंतुष्ट होकर प्रस्तुत संविदा की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

=====

स्वमेव निगरानी करी
3.3.15
for [Signature]
3.3.15

①
Debatanda
03/03/15

मान्यवर,

निगरानीकर्ता सादर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करता है:-

1- यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर म०प्र० ₹ जिन्हे आगे अधीनस्थ न्यायालय कहा जावेगा ₹ द्वारा तहसीलदार राजनगर द्वारा प्र०क्र०-26/अ-19१4१/ 2000-01 में पारित आदेश दिनांक-10.07.01 को स्वप्रेरणा निगरानी में लेकर प्र०क्र०- 43/स्वमेव निगरानी/ अ-19१4१ /05-06 दर्ज कर दिनांक 22.07.14 को निगरानीकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया ।


[Signature]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. निग-469/II/15 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-2-16	<p>1- आवेदक के अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पेनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्षों अधिवक्तागणों के तर्क सुने।</p> <p>2- मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला छतरपुर म०प्र० के प्र. क्र. 43 /अ-19(4)/स्व. निग./2005-06 मे पारित आदेश दिनांक 07/02/2015 के विरुद्ध म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के तहत प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>3- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि विवादित भूमि का पट्टा दखल रहित अधिनियम 1984 के तहत ग्राम महिलवार की भूमि सर्वे नं० 1205/2घ रकबा 1.650 हे० भूमि स्वामी अधिकार के तहत प्रदान किया गया था। म.प्र. कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वागी अधिकार प्रदान किया जाना(विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गम भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किए जाने का अधिकार प्रदान किया गया है। आवेदक का कब्जा लगभग 30 वर्षों से चला आ रहा है। खसरा की नकल में आवेदक का कब्जा दर्ज होने के आधार पर तहसीलदार राजनगर द्वारा प्र. क्र. 26/अ-19(4)/2000-01 आदेश दिनांक 10/07/2001 को आवेदक के नाम भूमि स्वामी अधिकार प्रदान करते हुए विधिवत् आदेश पारित किया था। जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी सूक्ष्म जांच एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना न्यायालय अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा स्वमेव निगरानी के तहत विवादित आदेश पारित करते हुए भूमि शासन के नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिये गये है। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।</p> <p>4- आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि लगभग 15 वर्ष पूर्व किये गये व्यवस्थापन को शून्य किये जाने बावत् स्वप्रेरणा निगरानी की कार्यवाही की गई है जबकि पट्टेदार द्वारा विवादित भूमि पर श्रम, धन खर्च कर भूमि को उन्नत बनाया गया है जैसा कि राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा</p>	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p style="text-align: right;">R</p>	<p>अन्य विरुद्ध म.प्र. राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इन्डिया एस.एस.सी.-44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। माननीय उच्च न्याया. न्यायधीश एस.के. गंगेले ने इसी वर्ष 2013 में प्रकरण आनुधिक ग्रह निर्माण सहकारी समिति मार्या. वि. म.प्र. राज्य तथा एक अन्य रे.नि. 2013 पृष्ठ 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता का उल्लेख किया है अतएव उन्होंने आवेदक को किया गया व्यवस्थापन आदेश स्थिर रखते हुए अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है।</p> <p>5- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेज तथा न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। अपर कलेक्टर द्वारा आवेदक को 02/10/1984 में कब्जा न होने के आधार पर स्वमेव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है। प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन वर्ष 2001 में किया गया है। एवं प्रस्तावित कार्यवाही वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई है। ऐसी स्थिति में प्रचलित कार्यवाही विधि सम्मत नहीं पाता हूँ। अतएव प्रस्तुत तर्कों एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश स्थिर रखे जाना नहीं पाता हूँ।</p> <p>6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07/02/2015 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10/07/2001 स्थिर रखा जाता है परिणामतः राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम पूर्वतः दर्ज रखते हुए यह निगरानी स्वीकार की जाती है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;">  सदस्य </p>	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 468 -एक/15

जिला - छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.3.2016	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव एवं श्री डी०के० पासी उपस्थित होकर धारा 32 म०प्र० भू-राजस्व संहिता का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पक्षकार दशरथ विरुद्ध शासन प्रकरण क्रमांक 468-एक/15 के स्थान पर 469-दो/15 हो गया है । अतः प्र०क्र० 469-दो/15 के स्थान पर निग० प्र०क्र० 468 -एक/15 पढ़ा जावे ।</p> <p>अतः आवेदक अधिवक्ता का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा निगरानी प्रकरण क्रमांक 469-दो/15 के स्थान पर निग० प्र०क्र० 468-एक/15 पढ़ा जावे । यह आदेश पत्रिका आदेश दिनांक 17.2.16 का मूल अंग माना जायेगा ।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	